कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांकः-23.01.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त को भष्टाचार के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 03 वर्ष के कारावास व कुल 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 206/2001 धारा- 7 भ्र0 नि0 अधि0, 13(1)(डी) सपठित धारा-13(2) भ्र0नि0अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त **डॉ0 ओम प्रकाश जायसवाल पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद जायसवाल निवासी- जैतपुरा हाल पता- नाटी इमली चन्द्रा नगर थाना-चेतगंज, वाराणसी** को थाना आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 23.01.2024 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय संख्या- 01 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त डॉ0 ओम प्रकाश जायसवाल उपरोक्त को धारा-07 भ्र0नि0अधि0 में 03 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा 13(1)(डी) सपठित धारा-13(2) भ्र0नि0अधि0 में 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बितायी गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगीं तथा सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी